न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम

सह विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.), किशनगंज।

उपस्थितः— सुरेश कुमार सिंह — II

निर्णय की तिथिः— 22.04.2026

विशेष वाद (एस.सी./एस.टी.) संख्या— 41/2017

C.I.S No.- 19/2017

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या— 07/2017 थाना— एस.सी./एस.टी. थाना, जिला— किशनगंज।

सूचक — बाबूलाल मुशहर, पिता— स्व0 फूलचन्द्र मुशहर, साकिन— टप्पू शरीफ, बुढनई वार्ड नं0— 05, थाना— पोठिया, जिला— किशनगंज। .....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति— श्री आदु लाल हरिजन (विद्वान विशेष लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः—	1. मो0 हजरूल, 2. मो0 रसीम, 3. मो0 सहरूल, 4. मुमताज बेगम, 5. मेसर बेगम एवं 6. सीमा खातुन।
द्वारा प्रस्तुति—	विद्वान अधिवक्ताः— श्री सागर राज। श्री मो0 एजाज संजार।

अपराध की तारीखः—	10.02.2017
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः—	13.02.2017
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः—	30.04.2017
आरोप गठन की तिथिः—	25.02.2019
धारा—313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः—	25.02.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः—	16.04.2026
निर्णय की तिथिः—	22.04.2026
दण्डादेश की तिथिः—	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः—	1. मो0 हजरूल, पिता— इमाजुद्दीन, साकिन— तैयबपूर, थाना— पोठिया, जिला— किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः—	27.09.2018
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः—	08.10.2018
चार्जः—	U/S- 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः—	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः—	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-2
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	2. मो0 रसीम, पिता– मो0 हारीस, साकिन– तैयबपूर, थाना– पोठिया, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	16.11.2018
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	16.11.2018
चार्जः–	U/S- 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-3
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	3. मो0 सहरूल, पिता– इमाजुद्दीन, साकिन– तैयबपूर, थाना– पोठिया, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	16.11.2018
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	16.11.2018
चार्जः–	U/S- 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-4
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	4. मुमताज बेगम, पति – हजरूल हक, साकिन– तैयबपूर, थाना– पोठिया, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	16.11.2018
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	16.11.2018
चार्जः–	U/S- 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C	

विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-5
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	5. मेसर बेगम, पति – मो0 हारीस, साकिन– तैयबपूर, थाना– पोठिया, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	16.11.2018
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	16.11.2018
चार्जः–	U/S- 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-6
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	6. सीमा खातून, पति – मो0 अकबर, साकिन– तैयबपूर, थाना– पोठिया, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	16.11.2018
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	16.11.2018
चार्जः–	U/S- 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	अंजीला देवी	अन्य साक्षी
P.W- 2	राम विलाश मुशहर	अन्य साक्षी
P.W- 3	वीना देवी	अन्य साक्षी
P.W- 4	बाबू लाल मुशहर	सूचक साक्षी

P.W- 5	मुफीजुर रहमान	अन्य साक्षी
P.W- 6	मो0 शाबेरूल	अन्य साक्षी
P.W- 7	अहमद रजा उर्फ अहमद आलम	अन्य साक्षी।

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो:–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृति:–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई हो:–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृति:–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची:–

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूची:–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्या:**	**विवरण**
N.A	N.A	N.A

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूची:–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्या:**	**विवरण**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूची:–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्या:**	**विवरण**
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूची:–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्या:**	**विवरण**
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण मो0 हजरूल, मो0 रसीम, मो0 सहरूल, मुमताज बेगम, मेसर बेगम एवं सीमा खातुन के विरूद्ध धारा– 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r),

3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्तगण ने इन्कार किये तथा विचारण का दावा किये।

2. सूचिका द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि दिनांक 10.02.2017 को समय लगभग 6.00 बजे संध्या इनके मकई खेत मे इनके गॉव के रहने वाले मो0 हजरूल मवेशी घुसाकर इनके मकई खेत को बर्वाद कर रहा था जब इन्हें पता चला तो ये अपने मकई खेत जाकर मवेशी को पकड़ कर घर लाये। थोड़ी देर बाद उपरोक्त अभियुक्तगण इनके घर पर लाठी, डंडा लेकर आये तथा इन्हें गाली गलौज करने लगा तथा घमकी देते हुऐ कहने लगे कि साले हरिजन तुमको इतना हिम्मत हो गया है कि तुम हमारे मवेशी को पकड़ेगा। उसके बाद बाताबाती के क्रम मे तीन आदमी इन्हें पकड़ लिया तथा दाहिने हाथ तोड कर जमीन पर लेटा दिया उसके बाद इनके गर्दन पर छुरी रख दिया तथा 50,000/– रूपया ले लिया तथा घर मे रखा जेबर भी ले लिया। अभियुक्तगण जाते समय धमकी दिया कि अगर मवेशी दुबारा पकड़कर लायेगा तो जिन्दा जला देंगे। उसके पश्चात् सूचक द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर एस.सी./एस. टी. थाना कांड संख्या – 07/2017 अन्तर्गत धारा 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act. में दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 05/2017 दिनांक 30.04.2017 को विद्वान विशेष न्यायालय, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् दिनांक 25.02.2019 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मो0 हजरूल, मो0 रसीम, मो0 सहरूल, मुमताज बेगम, मेसर बेगम एवं सीमा खातुन के विरूद्ध धारा– 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 07 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 अंजीला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 02 राम विलास मुशहर, अभियोजन साक्षी संख्या 03 वीना देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04 बाबू लाल मुशहर (सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या 05 मुफिजुर रहमान, अभियोजन साक्षी संख्या 06 मो0 शाबेरूल एवं अभियोजन साक्षी संख्या 07 अहमद रजा उर्फ अहमद आलम हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-1/PW-1 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किये तथा अपने को निर्दोष बताये।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

मन्तव्य

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 07 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले के सूचक के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 बाबू लाल मुशहर (सूचक) हैं इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना आज से तीन साल पहले के समय छः बजे शाम की है। जहरूल अपना मवेशी से इनके मकई का खेत चरा दिया था। इसी पर ये रोकने गये थे तो उससे इनका थोड़ा बोला–बोली हो गया था। जब इनकी पत्नी भी झंझट मे गयी तो उसके साथ भी अभियुक्तगण बोलीा–बोली किये थे। प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान कहा है कि अभियुक्तगण से आपस मे मेल–मिलाप बिना किसी दबाव के हो गया है। सुलहनामा और अनुमति आवेदन इन्होंने केस मे दाखिल किये है। मेल–मिलाप हो जाने के कारण यह केस आगे नहीं चलाना चाहते है। इस प्रकार इस साक्षी मे काफी विरोधाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 01 अंजीला देवी है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि यह केस बाबू लाल दास ने किया है। घटना आज से तीन साल पहले की है। ये बाहर से आ रहे थे तो देखे कि मारपीट हो रहा है। अभियुक्तगण मिलकर बाबू लाल को मार रहा था तथा गाली गलौज देकर कहा कि दो घर का चमार है तुमको आग लगा देंगे और लाठी से बाबू लाल को मारा था। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि बाबू लाल इनका पड़ोसी लगता है। घटना के समय बाहर को कोई आदमी घटना स्थल पर मौजुद नहीं था। घटना स्थल से पुलिस कोई चीज बरामद नहीं किया था। भले ही इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान घटना का समर्थन किया लेकिन इस केस के सूचक अभियुक्तगण से मेल मिलाप कर लिया है तब इस साक्षी के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 02 राम विलास मुशहर है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे हुए कहा है कि यह केस बाबू लाल मुशहर ने किया है। अभियुक्त हजेरूल बाबू लाल के मकई मे मवेशी लिखा रहा था इसी बात को लेकर दोनो पक्षों मे झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद हजारूल एवं इनके परिवार के लोग मिलकर डंडा से बाबू लाल के हाथ पर मारा जिससे उसका हाथ टुट गया तथा अभियुक्तगण कहा कि मुशहर अगर दुबारा मवेशी पकड़कर लायेगा तो घर मे आग लगा देंगे और जान से मार देंगे। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि बाबू लाल इनका भाई है। जैसे ही ये आंगन मे गये तो सभी अभियुक्तगण वहां से भाग गया था तथा इनका भाई लेटा हुआ था। इस केस मे इन्होंने पहली बार बयान दिये है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 03 वीना देवी है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि यह केस इनके पति ने हजरूल, सारूल, रासिद पर किये है। घटना आज से दो साल पूर्व की है। हल्ला सुनकर बाहर निकले तो देखे कि इनके पति के साथ उपरोक्त अभियुक्तगण धक्का–मुक्की कर रहा था। अभियुक्तगण का मवेशी इनके मकई खा लिया था जिसे पकड़ कर लाये थे उसी को अभियुक्तगण जबरदस्ती छुड़ा कर ले गये और जब मना किये तो अभियुक्तगण धक्का–मुक्की किये तथा जाति सूचक गाली दिये थे। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि बाता–बाती दोनो तरफ से हुआ था। इनलोगों का सामाज मे मेल मिलाप हो गया है। अब अभियुक्तगण से इनलोगो को कोई

गिला–सिकवा नहीं है। आगे इन्होंने कहा है कि सिर्फ बाता–बाती हुआ था, गाली गलौज नहीं हुआ था। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05 मुफिजुर रहमान है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि किसके साथ घटना हुआ था इन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 06 मो0 शाबेरूल है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि यह केस बाबू लाल ने कुछ छः आदमी पर केस किया है। घटना के समय ये अपने खेत जोत रहे थे उतना दुर रहने पर ये कुछ नहीं देख पाये और न ही कुछ सुन पाये। सुने थे कि झगड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। आज से पहले इनका बयान पुलिस के समक्ष नहीं हुआ था। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 07 अहमद रजा उर्फ अहमद आलम है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि यह केस सूचक बाबू लाल ने किस किस पर किया है इनको जानकारी नहीं है। सुने थे कि झगड़ा हुआ है। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि घटना के बारे मे कुछ नहीं जानता हूँ। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में दोनेा पक्षो के बीच आपसी से समझौता हो गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

18. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 05 मुफीजुर रहमान है इन्होंने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 06 मो0 शाबेरूल एवं अभियोजन साक्षी संख्या 07 अहमद रजा उर्फ अहमद आलम हैं ये दोनो साक्षी सुनी हुई बातों पर बयान दिये है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 अंजीला देवी है इन्होने साक्ष्य के दौरान कहा है कि घटना के समय वहां पर बाहरी कोई आदमी मौजुद नहीं था। घटना स्थल से पुलिस ने कोई चीज बरामद नहीं किया था। अभियोजन साक्षी संख्या 02 राम विलाश मुशहर है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि सूचक बाबू लाल इनका भाई है। जिस समय घटना हुआ था उस समय घटना स्थल पर कोई बाहरी व्यक्ति मौजुद नहीं था। जब ये घटना स्थल पर गये थे तब देखे कि इनका भाई जमीन पर गिरा हुआ था और सभी अभियुक्त वहॉ से भाग गये थे। अभियोजन साक्षी संख्या 03 वीना देवी है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि दोनो तरफ से बाता–बाती हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। आपस मे इनके पति सुलह कर लिये है। दोनो के बीच जो भी विवाद था वह सुलह हो गया है। जिस मामले मे सूचक ही अपने बयान से मुकर जाती है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

19. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण मो0 हजरूल, मो0 रसीम, मो0 सहरूल, मुमताज बेगम, मेसर बेगम एवं सीमा खातुन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण मो0 हजरूल, मो0 रसीम, मो0 सहरूल, मुमताज बेगम, मेसर बेगम एवं सीमा खातुन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 341/34, 323/34, 379/34, 504/34, 447 of IPC & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) of SC/ST Act से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण तथा उनके प्रतिभूओं को उनके बन्ध पत्र के दायित्वों से उन्नमोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 22.04.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 22.04.2026

Date of Judgment/Order	22-04-2026
Date of reserving judgment/order	22-04-2026
Uploading Date	25-04-2026
Uploaded by	Deposition Writer